The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 6 | June 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

डॉ0 प्रियंका मित्तल[1]
अकादमिक सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी., न्यू दिल्ली,
ईमेल आइडी-priyanshimittal1984@gmail.com
डॉ0 नीलम यादव[2]
सहायक आचार्य, डॉ0 भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
ईमेल आइडी-dr.neelam2012yadav@gmail.com

प्रस्तावना

कालीरमन ने शिक्षा के लिए उद्घाटित किया हैं शिक्षा राष्ट्र-निर्माण का प्रभावी माध्यम होती है। ऐसे में शिक्षा में असमानता राष्ट्रीय- एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। जिसको एक समान पाठ्यक्रम अपनाकर दूर किया जा सकता है। अतः नई शिक्षा नीति का महत्व बढ़ जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को केंद्रीय कैबिनेट ने **29 जुलाई 2020** को मंजूरी दी थी। यह लगभग चार दशकों के दरम्यान भारत में होने वाला सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति संयोजक **डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता** में खुलासा किया हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति (Global Knowledge Superpower) बनाना है। स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढाँचे में तीसरा बड़ा सुधार है। इस नीति में भाषा की केंद्रीयता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 66 पृष्ठ के इस प्रारूप में 206 बार भाषा शब्द आया है, जिनमें से 126 बार बहुवचन के रूप में और 80 बार एकवचन के रूप में। यहां बहुवचन रूप के आधिक्य का होना इस बात को स्थापित करता है कि किसी एक भाषा और संस्कृति की बात न करके सभी भाषाओं पर केंद्रित बहुलता पर ज़ोर दिया गया है। शिक्षा नीति में यह आत्म-स्वीकृति कि विगत वर्षों में भाषाओं के प्रति यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थान-बिन्दु की तरह दिखता है।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का कथन "कोस-कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर पानी" भारत की भाषाई वैविध्यता एवं समृद्धता को दर्शाता है। भारत में राज्यों विशेष की मुख्य भाषा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अनेक बोलियाँ प्रचलन में रही हैं। इस नीति में 206 बार भाषा शब्द आया है, जिनमें से 126 बार बहुवचन के रूप में और 80 बार एकवचन के रूप में। यहां बहुवचन रूप के आधिक्य का होना इस बात को स्थापित करता है कि किसी एक भाषा और संस्कृति की बात न करके सभी भाषाओं पर केंद्रित बहुलता पर ज़ोर दिया गया है। शिक्षा नीति में यह आत्म-स्वीकृति कि विगत वर्षों में भाषाओं के प्रति यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थान-बिन्दु की तरह दिखता है।

वर्ष **2011 की जनगणना के अनुसार** 1369 भाषाएं प्रचलित थी जिसमें 121 भाषाएं 10 हजार से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। *यूनेस्कों के अनुसार विगत 50 वर्षों में **197 भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय** हो चुकी हैं, अनेक लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं। एक भाषा मरने से उस भाषा को बोलने वालों की सभ्यता, संस्कृति आदि समाप्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भली-भांति स्वीकार किया है। इस दृष्टि से नीति में लिखा है- **संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन** करना होगा।*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मातृभाषा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। हमारी मातृभाषाएं बड़े व व्यापक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करती है । जब यह जनसमूह मजबूत होगा तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी हिंदी भाषा भी स्वत: मजबूत होगी क्योंकि हिंदी का शब्द भण्डार तो उसकी मातृभाषा, क्षेत्रीय बोलियों व भारतीय भाषाओं के शब्दों के भंडार से निर्मित है. ऐसे में बहुभाषिकता हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी विशेषता है।

भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध आधुनिक काल के कवि **भारतेंदु हरिश्चंद्र ने** निज भाषा का महत्व बताते हुए लिखा भी हैं कि

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।

भारतेंदु द्वारा संकल्पित यह निज भाषा हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं ही थी, जिनकी उन्नति के बिना सुख-दुख, ज्ञान-विज्ञान, प्रेम-विवेक, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास और व्यक्तित्व विकास संभव नहीं है।

महात्मा गाँधी जी ने भी कहा है कि "मेरी मातृभाषा में कितनी खामियां क्यों न हो? मैं इससे इसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से । यही मुझे जीवनदायनी दूध दे सकती है ।

डॉ जाकिर हुसैन के शब्दों में कहें तो ***"हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा"*** । हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी ही अनेकता में एकता है । पांच उँगलियाँ मिलकर एक मुट्ठी बनाती है हमारी बहुभाषिकता में एक भाषा के रूप में हिंदी की पहचान उस मुट्ठी के समान हैं जो अलग-अलग उंगलियाँ अर्थात भाषाओं के होने के बावजूद हिंदी के रूप में शक्ति का अहसास कराती है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में **कक्षा-5** तक की शिक्षा में **मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा** को **अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल** दिया गया है, साथ ही इस नीति में **मातृभाषा को कक्षा-8** और **आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता** देने का सुझाव दिया गया है।

महात्मा गाँधी ने कहा था, "विदेशी माध्यम ने बच्चों की तंत्रिकाओं पर भार डाला है, उन्हें रट्टू बनाया है, वह सृजन के लायक नहीं रहे.....विदेशी भाषा ने देशी भाषाओं के विकास को बाधित किया है।"

इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति **डॉ. अब्दुल कलाम** के शब्दों का यहां उल्लेख आवश्यक हो जाता है, "मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।''

इसी प्रकार माइक्रो सॉफ्ट के सेवानिवृत वरिष्ठ वैज्ञानिक **संक्रात सानू** ने अपनी पुस्तक में दिये गये तथ्यों में यह कहा है कि विश्व में सकल घरेलू उत्पाद में प्रथम पंक्ति के 20 देश में सारा कार्य अपनी भाषा में ही कर रहे हैं, जिनमें केवल चार देश, अंग्रेजी भाषी हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। वे आगे लिखते हैं कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे पिछड़े हुए 20 देशों में विदेशी भाषा में या

अपनी और विदेशी दोनों भाषा में उच्च शिक्षा दी जा रही हैं तथा शासन-प्रशासन का कार्य भी इसी प्रकार किया जा रहा है। उपर्युक्त कथन की सत्यता को प्रमाणित करने की दृष्टि से भारतीयों को प्राप्त नोबल पुरस्कार और अपनी भाषा में शिक्षा देने वाले देश इजरायल, जापान, जर्मनी आदि के विद्वानों द्वारा प्राप्त नोबेल पुरस्कारों की तुलना करने से स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हिंदी

अध्याय 22 के 22.8 में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन पर दिए गए विशेष जोर से अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा के लिए आशा की किरण दिखाई देती हैं । त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन होगा जिससे देश में हिंदी भाषा के अध्ययन- अध्यापन की मात्रा बढ़ेगी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देश्यीयता (Multilingualism) और राष्ट्रीय सद्भाव (National Harmony) को बढ़ावा देना है। ***त्रि-भाषा सूत्र*** का उद्देश्य हिंदी व गैर-हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है।

1. **पहली भाषा** -यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
2. **दूसरी भाषा**- हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
3. **तीसरी भाषा**- हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संस्कृत

समग्र भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत का स्थान भाषाओं की दृष्टि से मां के समान है। सभी भारतीय भाषाओं का आधार संस्कृत है। इस तथ्य को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है कि संस्कृत वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पूर्ण भाषा है। परंतु हमारे देश में कुछ लोगों ने संस्कृत को मृतभाषा तक कह दिया है। इस नीति में कहा गया है कि संस्कृत को पाठशालाओं तक सीमित न रखते हुए

विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प के रूप में स्थान दिया जाएगा। इसे पृथक नहीं परन्तु रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से पढ़ाया जाएगा तथा अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विद्या, योग आदि से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विदेशी भाषा

राष्ट्रीय-शिक्षा-नीति 2020 के अनुसार विदेशी भाषा को **उच्चतर माध्यमिक स्तर पर** अतिरिक्त विकल्प के रूप में पढ़ाया जाए, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार किसी विदेशी भाषा का अध्ययन कर सकें। विदेशी भाषा में चीन की भाषा **मंदारिन** को सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शास्त्रीय भाषा

शास्त्रीय भाषाओं तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), एवं उड़िया (2014) से जुड़े संस्थाओं के अकादमिक महत्त्व के देखते हुए उनको विभिन्न विश्वविद्यालयों से जोड़ने का सुझाव है, तो पालि, प्राकृत एवं फारसी भाषाओं के लिए नए संस्थान बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है, ताकि देश के कला, इतिहास एवं परंपरा आदि पर बेहतर शिक्षण एवं शोध हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 के उपअध्याय 6** में भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाओं के साथ-साथ अन्य भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन सभी भाषाओं से संबंधित साहित्य तथा अन्य सामग्री को लिखित रूप में संग्रहित करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही इन भाषा एवं बोलियों के शब्दकोशों का निर्माण, इनके अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा वेबसाइट निर्माण जैसे अनेक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान निर्मित किए गए है, जिनके अनुपालन के द्वारा इन सभी भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में काफी तेजी आएगी।

2. ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 के उपअध्याय 7*** में भाषा शिक्षण के महत्त्व को स्वीकार करके, इस दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया गया है। भाषा शिक्षण को सरल बनाकर उसे और अधिक व्यापकता प्रदान की जा सकती है।
3. ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 के उपअध्याय 9*** में उच्चतर शिक्षा में पूर्व प्रचलित मानदंडों को और अधिक सशक्त बनाने हेतु नए पाठ्यक्रमों का निर्माण उनका शिक्षण एवं संकाय निर्माण पर बल दिया गया है। इसके तहत भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य तथा सृजनात्मक लेखन के लिए विशेष पाठ्यक्रमों एवं विभागों की स्थापना की जाएगी। इस तरह से यह नीति भारतीय भाषाओं की स्थानीयता के साथ-साथ स्थान विशेष के सांस्कृतिक सरोकारों की वैश्विक परिधि निर्मित करने की ओर अग्रसर है।
4. ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 का उपअध्याय 14*** में भारतीय भाषाओं की वैश्विक पहुँच हेतु भारतीय एवं अन्य विदेशी भाषाओं के साहित्य का अनुवाद एवं विवेचना संबंधित कार्यों को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन भाषाओं की उच्चतम गुणवत्तापूर्ण सामग्री को आम भारतीय तक सुगमता से पहुँच निश्चित करने के लिए एक संस्थान "**भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान**' (Indian Institute of Translation and Interpretation- IITI), की स्थापना का प्रावधान इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। जिससे अनेक भाषाओं की वैश्विक परिधि एवं पहचान निर्मित करने का कार्य किया जाएगा।
5. ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 22 का उपअध्याय 16*** भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में मील के पत्थर का कार्य करेगा। उक्त उपअध्याय में भारतीय भाषाओं और प्राचीन साहित्य का अध्ययन, अध्यापन करने वाले संस्थानों को और अधिक विस्तार करने, पांडुलिपियों को खोजने, संग्रहित करने तथा अनुवाद द्वारा सुरक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही इस दिशा में कार्य करने वालों अन्य संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों के

निर्माण तथा इनके अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करने हेतु विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर भी बल दिए जाने की बात की गई है।

6. ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 का उपध्याय 19*** तकनीकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक प्रावधान है। इसमें भारतीय भाषाओं, लोककलाओं तथा लोक संपदाओं से जुड़ी सामग्री का वेब आधारित दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाओं और भाषाई उपादानों जैसे लोक नाट्य परंपरा, बुजुर्गों का मौखिक संवाद आदि को डिजीटल रूप करके प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ विश्वविद्यालय की शोध समितियों को इनके और अधिक संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
7. ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 22 के अंतिम उपध्याय 20 में*** भारतीय भाषाओं, कलाओं तथा संस्कृति के अध्ययन के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। इसमें भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए उनके प्रयोग एवं कार्य व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भाषाओं के सृजनात्मक लेखन को पुरस्कृत करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में रोजगार के अवसर निर्माण करने की अनुशंसा की गई है। भारतीय भाषाएँ यदि रोजगार से जुड़ेगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी स्वीकार्यता एवं पहुँच के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार होगा।

निष्कर्ष-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ऐसी पहली शिक्षा नीति हैं जिसके मानकों का निर्धारण भारत के जातीय चरित्र एवं भाषाई अस्मिता को ध्यान में रखकर किया गया है। भारतीय संस्कारों, मूल्यों एवं अन्य उपयोगी उपादानों को स्वयं में समायोजित किए हुए; यह शिक्षा नीति भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक सरोकारों का विश्व मंच पर प्रतिनिधित्व करती हैं। जिसकी स्वीकार्यता एवं विस्तार का माध्यम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ बनी हैं। अतः भारतीय भाषाओं की यह वैश्विक स्वीकार्यता भारत को विश्व से एवं विश्व को भारत से जोड़ने हेतु समन्वय सेतु का निर्माण कर रही हैं,

जिसमें हिंदी इन सभी भाषाओं की सिरमौर बनकर उभर रही हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति (2020) भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति का वैश्विक आचरण निर्मित करती हैं, जिसमें सर्वत्र भारत एवं भारतीयता का बोध परिलक्षित होता है। शिक्षा के सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषा का विकल्प एक निश् इस नीति में अनेक विषयों के क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा सुनिश्चित की गई है। जिस देश के नागरिकों में अपनी भाषा का स्वाभिमान नहीं होता है उनको विश्व में कहीं सम्मान नहीं मिल सकता। इस हेतु सामाजिक संस्थाओं, संगठनों एवं विशेष करके शिक्षा जगत के लोगों का प्रमुख दायित्व बनता है कि इस दिशा में देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाकर अपनी भाषाओं का स्वाभिमान जगाने हेतु संकल्पबद्ध हों। अन्यथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भाषा सम्बन्धित आवश्यक अधिकतर प्रावधान कर दिए गये हैं परंतु जब तक सामाजिक एवं शैक्षिक जगत में इसका स्वीकार नहीं होगा तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता।

संदर्भ सूची :

1. नई शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं (2024) लोकनीति केंद्र , नई शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं |
2. त्रि-भाषा सूत्र : महत्त्व और चुनौतियाँ (2024)। :: Drishti IAS Coaching in Delhi, Online IAS Test Series & Study Material
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020. MAITHILI.pdf (education.gov.in)
4. मीणा एस. एम (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं. aijra-vol-9-issue-1-40.pdf (ijcms2015.co)
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुच्छेद 22-10
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुच्छेद 22-14
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुच्छेद 22-18
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुच्छेद 22-17